भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2299

दिनांक 01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

पोस्टमार्टम की सुविधाएं

†2299. श्री परषोत्तमभाई रुपालाः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मानव अवशेषों की शव-परीक्षा रिपोर्ट से संबंधित हेरफेर के मुद्दों से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ मिलकर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;
(ख) मुर्दाघर कर्मियों को उचित सुरक्षात्मक उपकरणों के बिना पोस्टमार्टम करने, जिससे उन्हें तपेदिक और एचआईवी जैसे गंभीर संक्रमणों का खतरा हो सकता है, से रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ मिलकर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कार्रवाई की गई है; और
(ग) अस्पतालों में पोस्टमार्टम सुविधाओं में ईष्टतम बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई है।उठाए जाने का प्रस्ताव है/ शुरू की गई है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): इस विषय पर कोई भी जानकारी केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती है। तथापि, पोस्टमार्टम दस्तावेज़ों की पारदर्शिता और सत्यता सुनिश्चित करने और हेरफेर के जोखिम को कम करने के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पोस्टमार्टम रिपोर्टिंग के लिए मेडिको लीगल एग्जामिनेशन एंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिस्टम (MedLEaPR) सॉफ्टवेयर को एकीकृत किया है।

(ख) और (ग) : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने समय-समय पर शव-गृहों में संक्रामक रोगों वाले शवों को हैंडल करने और शव-परीक्षण प्रक्रियाओं के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा तैयार किए गए शव-गृह और शव-परीक्षण के न्यूनतम मानकों को राष्ट्रीय नैदानिक स्थापन परिषद (एनसीसीई) द्वारा अधिसूचना हेतु सहमति प्रदान की गई है।

केंद्र सरकार के संस्थानों में, शव-अवशेषों के निपटान में शामिल शव-गृह के कर्मचारियों, जिनमें पोस्टमार्टम प्रक्रियाओं में सहायता करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं, को प्रत्येक मामले में सार्वभौमिक पूर्व-सावधानियों का पालन करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है। शव-गृह के कर्मचारियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) प्रदान किए जाते हैं जिनमें मास्क, सर्जिकल दस्ताने, डिस्पोजेबल गाउन, आई शील्ड, गम बूट और एचआईवी किट (संपुष्ट सीरम जैव-जोखिम मामलों के लिए) शामिल हैं। संक्रमण नियंत्रण मानकों को बनाए रखने के लिए, प्रत्येक मामले के बाद पोस्टमार्टम परीक्षण टेबल और शव-परीक्षण कक्षों की साफ-सफाई की जाती है और समय-समय पर धूम्रशोधन किया जाता है। पोस्टमार्टम सुविधा केन्द्रों में इष्टम बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने के लिए नियमित अंतराल पर नए उपकरण खरीदे जाते हैं।

****